निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड

शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून
दूरभाष 0135–2780122, ई–मेल uk-mwd-uk@gov.in

पत्रांक 361/नि.अ.क/अल्प0छात्रवृत्ति/रा0पो0/2025–26 दिनांक 18 जुलाई, 2025

1. **जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,**
   देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल,।

2. **जिला समाज कल्याण अधिकारी,**
   टिहरी, पौडी, चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी,
   अल्मोडा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथोरागढ।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना(100 प्रतिशत रा0पो0) योजना के प्रचार–प्रसार एवं स्क्रूटनी के संबध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना(100 प्रतिशत रा0पो0) का संचालन विगत वर्षों की भांति भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एन.एस.पी.2.0 के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन की अंतिम तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

क्र0स0	**गतिविधियां/Activities**	**दिनांक**
1	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ किये जाने की तिथि	10.07.2025
2	ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने की अंतिम तिथि	31.08.2025
3	शिक्षण संस्थानों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित/स्क्रूटनी किये जाने की अंतिम तिथि	15.09.2025
4	**जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित/स्क्रूटनी किये जाने की अंतिम तिथि।**	**30.09.2025**

3. अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति (रा0पो0) हेतु जारी गाइडलाइन की (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार छात्र/छात्राओं हेतु नियम एवं शर्ते निम्नानुसार निर्धारित हैंः–

1. विद्यार्थियों को उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
2. यह छात्रवृत्ति केवल मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन धर्म के अनुयायियों को देय हैं।
3. विद्यार्थियों के अभिभावक की वार्षिक आय (एक लाख) रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. एक परिवार से मात्र 02 छात्र/छात्रा ही आवेदन के पात्र होंगे।
5. विद्यार्थियों को पिछली कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हैं।

6. विद्यार्थी वर्तमान शिक्षा सत्र में यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति पा रहा है, तो इस छात्रवृत्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।
7. योजना हेतु केवल राजकीय, परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों/मदरसों के विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति पाने हेतु अर्ह होगें।
8. राज्य पोषित अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं से आय के संबध में प्रमाण पत्र केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से जारी किया गया हो मान्य होगा।

अतः इस संबध में समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों से अनुरोध है, कि जनपद के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यालय/मदरसों को समयबद्ध रूप से अधिकतम पात्र अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के अभिभावकों हेतु आवश्यक दस्तावेज बनाये जाने हेतु स्कूलों/मदरसों/संस्थानों में जागरूकता कैम्प इत्यादि आयोजित करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण समयबद्ध होने के फलस्वरूप इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
Rajendra Kumar
Date: 18-07-2025
12:29:50

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिला अधिकारीयों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी प्रकरण में अग्रेतर निर्देश संबन्धित अधिकारीयों को प्रदान करने का कष्ट करें।

निदेशक।